दलित शिक्षित युवा वर्ग : सामाजिक असमानता तथा शोषण

डॉ0 प्रमोद कुमार*

भारत में दलित जातियों का सम्बन्ध आज उन 20 करोड़ से भी अधिक लोगों से है, जो हिन्दू समाज का अभिन्न अंग होने के बाद भी कुछ हिन्दू धर्म ग्रंथों के निर्देशों के कारण एक लम्बे समय तक बहुत अपमानित और शोषित जीवन व्यतीत करते रहे। वास्तव में दलित जातियों की समस्याओं का कारण भारत में जातियों का वह संस्तरण है जिसमें ब्राह्मण जातियों को सबसे पवित्र मानकर उन्हें विशेष अधिकार दिये गये, जबकि कुछ जातियों को अपवित्र मानकर उन्हें सभी तरह के अधिकारों से वंचित कर दिया गया। विभिन्न पुराणों और स्मृतियों में जिन लोगों को जन्म और पेशे के आधार पर सबसे अधिक पवित्र माना गया, उनके स्पर्श पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया। इसी से भारतीय समाज में अस्पृश्यता जैसी गंभीर और अमानवीय समस्या पैदा हुई। मध्यकाल तक हिन्दू समाज इतना धर्मान्ध और अंधविश्वासी बन गया कि स्मृतियों में दिये गये नियमों के अनुसार अस्पृश्य जातियों को नगरों और गाँवों की मुख्य बस्ती से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाने लगा। उन्हें सभी तरह की सामान्य सुविधाओं से भी वंचित कर दिया।

सन् 1947 में स्वतंत्रता मिलने पर जब भारत का नया संविधान बनना आरम्भ हुआ तो संविधान निर्माताओं ने यह माना कि शुद्र वर्ण में आने वाली सभी जातियों की दशा एक जैसी नहीं है। शूद्र वर्ण में जिन जातियों को अछूत माना जाता है, वे जातियाँ सबसे अधिक शोषित, उपेक्षित और पद दलित हैं। इन जातियों को कानूनी सुरक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिये बिना इनकी दशा में सुधार नहीं लाया जा सकता। इसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया कि वह विभिन्न प्रदेशों के राज्यपालों से सलाह करके उन जातियों की एक सूची अथवा अनुसूची तैयार करें जिन्हें सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक आधार पर सभी तरह के अधिकारों से वंचित किया जाता रहा है। 26 जनवरी, 1950 से नया संविधान लागू होने के पहले ही यह अनुसूची तैयार कर ली गयी। इस अनुसूची में जिन जातियों को सम्मिलित किया गया, उन्हीं अनुसूचित जातियाँ कहा जाता है। आज बहुत से लोग अनुसूचित जातियों के लिए दलित शब्द का प्रयोग करते हैं।

वर्तमान समय दलितों की वह स्थिति नहीं है जो आजादी के पूर्व पायी जाती थी। आज दलित जातियों में शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है। उच्च शिक्षा प्राप्त युवक उच्च पदों पर आसीन हैं। आज दलित जातियों के अनेक लोग विभिन्न व्यवसायों के द्वारा अपनी आजीविका चला रहे हैं। विभिन्न जातियों के बीच उनका सम्पर्क भी बढ़ता जा रहा है। शिक्षा, आरक्षण, संस्कृतिकरण, औद्योगीकरण, नगरीकरण, धर्मनिरपेक्षता, राजनीतिक दलों का प्रभाव आदि के कारण दलित जातियों का उत्थान हुआ है।

संविधान द्वारा दलितों की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के नियम कानून बनाने के बावजूद भी दलित उत्पीड़न में कमी नहीं हुई।

दलित उत्पीड़न के मामले में इस समय बिहार, राजस्थान, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, गुजरात आगे हैं। देश को आजाद हुए लगभग 71 वर्ष हो चुके हैं, किन्तु आज भी सवर्ण जातियों द्वारा हर तरह से दलितों का शोषण किया जा रहा है। ये दलित चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित।

राजस्थान में कुछ वर्षों पूर्व घटित एक घिनौनी ह्रदयविदारक घटना के मुताबिक बेडकला गांव के मोहनलाल मेघवाल का परिवार रहता था। उनके परिवार में चार पुत्र, पति–पत्नी एवं मां है। मोहन लाल एक 45 वर्षीय शिक्षित व्यक्ति था। वह बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर के विचारों से प्रभावित एवं उनके द्वारा किए गए दलित संघर्ष से प्रेरित था। वह डॉ. अम्बेडकर का परमभक्त एवं अनुयायी था। दलित वर्ग की उन्नति एवं विकास के कार्यक्रमों में हमेशा बढ़–चढ़कर भाग लेता था। उसका शिक्षित होना एवं लोगों को शिक्षित करने का कार्य ही उसकी मौत का कारण बना।

बात बहुत पुरानी नहीं है। बेडकलां में प्रारम्भ से ही पंचायतीराज के चुनावों में प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं होता था। इस गांव पर अपना दबदबा रखने वाला इसी गांव का निवासी भूतपूर्व कांग्रेसी विधायक शिवदान सिंह के इशारे पर पंचायत के सभी प्रतिनिधियों का चयन निर्विरोध रूप से हो जाता था। शिवदान सिंह की मर्जी के खिलाफ न तो कोई पंचायत प्रतिनिधि का चयन होता था और न ही कोई इस मनमर्जी का विरोध करने की हिमाकत करता था। यहां तक कि सरपंच का चुनाव भी निर्विरोध हो जाता था। सन् 2000 के पंचायत के चुनाव में सर्वप्रथम कोई दलित वर्ग का व्यक्ति (मोहन लाल) वार्ड पंच के लिए चुनाव लड़ा एवं विजयी हुआ। इसके इस प्रयास ने तो मानो जैसे वर्षों से ठहरे हुए सामंती तालाब के जल में कंकड़ मारकर हलचल पैदा कर दी हो। समय बीता एवं सन् 2005 का चुनाव पुनः आया। उसमें मोहन लाल ने पुनः सरपंच के लिए पर्चा भरा,

***एम.ए., पी–एच.डी. (समाजशास्त्र) असिस्टेन्ट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग जे.के.वाई. कॉलेज, गया**

किंतु सन् 1955 के पश्चात् दो से अधिक संताने होने के कारण शिवदान सिंह ने उसका पर्चा निरस्त करवा दिया। फिर भी मोहन लाल ने अपनी मां को प्रत्याशी बनाया, किंतु क्रूर शिवदान सिंह की शक्ति के आगे उसकी एक न चली। अंततः उसी के पक्ष का थानाराम जीतकर सरपंच बना।

मोहन लाल 1 मार्च, 2005 को सुबह 8 बजे पाली जाने के लिए शायद अंतिम बार प्रस्थान किया था। जब मोहन लाल गांव के अंतिम चौराहे (आखरिया चौराहा) पर पहुंचा ही था कि शिवदान सिंह, उसका भाई दलेहर सिंह एवं पुत्र टीकम सिंह एक ट्रैक्टर पर आए और उसे पकड़कर चाकुओं से उसके शरीर पर 17 घाव कर गोद डाला। मोहन लाल किसी तरह छिटककर जान बचाने हेतु इधर–उधर भागने के लिए जगह ढूंढने लगा, पर उसे जगह मिल न सकी, क्योंकि शिवदान सिंह के लोग पूर्व नियोजित ढंग से उस क्षेत्र को चारों तरफ से घेरकर बैठे थे। वह खूंखार दरिंदों के चंगुल से बच न सका। दरिंदों ने जख्मी मोहन लाल को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया एवं उसके ऊपर ट्रैक्टर चलाकर उसकी निमर्म हत्या कर दी। इतने बड़े हत्याकांड की न पुलिस प्रशासन ने ही निष्पक्ष जांच की और न ही शिवदान सिंह के खिलाफ कोई उचित धारा ही लगाई गई। दलित विधायकों ने भी डर के नाते स्व.मोहन लाल के परिवार की कोई सुधि न ली।[1]

इसी तरह से दलितों के उत्पीड़न में हरियाणा राज्य भी किसी मायने में पीछे नहीं हे। यहां पर भी दबंग सवर्णों द्वारा आए दिन दलितों के साथ अत्याचार के तांडव प्रायः देखने को मिलते हैं। 10 मई, 2007 को राष्ट्रीय सहारा न्यूज चैनल के अनुसार–जिला हिसार (हरियाणा) में होशियार सिंह नामक एक दबंग जाट है। वह अपनी जमींदारी ताकत के लिए आज भी प्रसिद्ध है। दलित राजू ने न्यूज चैनल को यह जानकारी दी कि बिना कोई कसूर बताए ही होशियार सिंह जाट ने उसके तीन जवान बेटों के साथ उसकी पत्नी को नंगा करके घर वापस भेजा। पीड़ित दलित नग्न अवस्था में पास के थाने में गए और सरपंच से भी मिले, किन्तु उन्हें हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। यहां तक कि हरियाणा प्रदेश में 64 (चौंसठ) विधायक दलित वर्ग के हैं, किन्तु उन्होंने भी भय के कारण पीड़ित परिवार की कोई मदद नहीं की।[2]

दलितों के उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश पीछे क्यों रहे। इस राज्य में तो सदियों से दबंग सवर्णों द्वारा दलितों के साथ विभिन्न प्रकार के अत्याचार होते रहे हैं, जिनमें उदाहरणार्थ एक का विवरण देखें, घटना सितम्बर 2004 की है। बागपत, दिन दहाड़े कोतवाली क्षेत्र के नौरोजपुर गूजर के गांव में सुरेन्द्र जाट गिरोह ने बोगी ले जा रहे दलित युवक पर बेसुमार गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। सुरेन्द्र जाट ने मृतक के चाचा से दो लाख रूपए मांगे थे। इसका विरोध करना ही युवक की हत्या का कारण बना। हत्या के केस में गांव के चार दलित भी नामजद कराए गए, लेकिन पुलिस किसी को गिरतार नहीं कर सकी है।

उत्तर प्रदेश मात्र एक ऐसा राज्य है, जहां दलित वर्ग का उत्पीड़न सदैव होता रहा है। इस प्रदेश के मेरठ, आगरा, दबायूं, फतेहगढ़, इटावा, बांदा, जालौन, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, गोंडा, बहराइच, बाराबंकी, सुल्तानपुर, वाराणसी, बस्ती तथा आजमगढ़ आदि जनपदों में दलित वर्ग के लिए सामंतशाही से विशेष रूप में प्रभावित हैं, जहां सामाजिक कुरीतियों के फलस्वरूप होने वाला शोषण तथा उत्पीड़न से इन जातियों की दशा अत्यंत शोचनीय है। इस प्रदेश में 'नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1966' महज एक मजाक बनकर रह गया है। अस्पृश्यता का व्यवहार आज भी देखने को मिलता है।[3] इस संदर्भ में पुलिस प्रशासन भी हाथ–पर–हाथ धरे बैठी नजर आती है।

इसी प्रकार बिहार राज्य में भी बेहद शर्मनाक घटना घटित हुई। पटना जिले की विधवा चानो देवी ने बेउर जेल के अधिकारियों से शिकायत की थी, कि पटना सिटी के चौक थाने के धवलपुरा चौकी के जवानों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जेल अधिकारियों ने उसे डॉक्टरी परीक्षण के लिए पटना मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भेजा। उसकी शिकायत पर प्राथमिकी भी दर्ज कराई गयी। इधर आरोपित पुलिस वालों ने दुष्कर्म की बात से इनकार कर दिया था।[4]

अतीत से लेकर आज तक के परिदृश्य में दलित त्रासदी को जितना समझने–जानने का प्रयास करते हैं, उससे उतना ही गहरा असंतोष और आक्रोश पैदा होता है, क्योंकि यही एकमात्र तबका है, जो सबसे घृणित माना गया है, तिरस्कृत, शोषित, वंचित और असुरक्षित है। यह भी एक कड़वा सत्य है कि भारत के सभी धर्मों के संभ्रांतजन दलितों से नफरत करते हैं। शहरों में भले ही वे दलितों के साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं, परन्तु वह भी किसी स्वार्थवश या मजबूरीवश। उनका अंतर्मन तो आज भी दलित को विकास करते नहीं देखना चाहता। परिणामस्वरूप अब दलितों पर इसलिए अपराध बढ़े हैं। शोषण बढ़े हैं, असमानता बढ़े हैं कि वे भी अब मनुष्य बनने की प्रक्रिया में शामिल हो गए हैं और पहले भी इसलिए उनपर अत्याचार एवं शोषण होते रहे हैं क्योंकि वे अत्यन्त कमजोर और अपाहिज थे। परन्तु अब दलित समाज विशेष कर दलित शिक्षित युवा वर्ग अपने जीने के अधिकारों, बराबरी और सम्मानपूर्वक जिंदगी जीने के लिए संघर्षमय रास्ता अपना लिए हैं।

संदर्भ सूची :

1. हम दलितः मई 2005, पृ.9–11
2. राष्ट्रीय सहारा न्यूज चैनल, 10 मई 2007
3. सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और पुलिस, पृ.173–274
4. हम दलित, नवम्बर 2005, पृ.03